



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 650/2026

माँ भवानी महाविद्यालय सोगई और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार यादव, भोला नाथ यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भोला नाथ यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह को सुना गया।
2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-

"(1). परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश (प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) को यह आदेश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत दायर स्थगन आवेदन दिनांक 03.11.2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



AL20251418005284 (माँ भवानी महाविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)

पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय ले।

II. परमादेश की प्रकृति का एक रिट या निर्देश जारी किया जाए, जो उप-जिलाधिकारी, चंदौली द्वारा केस संख्या 5605/2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202414180105605) [राघवेन्द्र तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य] में दिनांक 27.09.2025 को पारित आक्षेपित आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दे; और प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया जाए कि वे राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान उक्त आक्षेपित आदेश को लागू न करें।

III. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादियों को यह आदेश दिया जाए कि वे विवादित भूमि पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें; और राजस्व बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण याचिका लंबित रहने के दौरान, आक्षेपित आदेश के अनुसरण में, भूमि पर हुए निर्माण/स्कूल भवन को न गिराएँ और न ही भूमि की प्रकृति में कोई परिवर्तन करें; तथा कोई अन्य रिट या निर्देश भी जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 एक शैक्षणिक संस्थान है, जो डिग्री कॉलेज स्तर तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 में याचिकाकर्ता के संस्थान के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, विवादित भूखंड पर याचिकाकर्ता के संस्थान का नाम दर्ज कर लिया गया था। उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104/105 के तहत एक कार्यवाही प्रारंभ की गई है, और उस कार्यवाही के अंतर्गत, विवादित भूखंड को अवैध एवं मनमाने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तरीके से 'राज्य में निहित' करने का आदेश पारित कर दिया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ज़मीन देने वाला और ज़मीन लेने वाले, दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं; इसलिए, विवादित ज़मीन के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104/105 के तहत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। उन्होंने आगे कहा कि ज़मीन का हस्तांतरण एक संस्था के पक्ष में किया गया है; इसलिए, इस न्यायालय द्वारा 2011 (114) आरडी 760 में रिपोर्ट किए गए मामले-प्रबंधक समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य-में पारित अंतरिम आदेश के मद्देनज़र, उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 157-ए के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया गया है; इसलिए, राजस्व बोर्ड को मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेना चाहिए, और जब तक पुनरीक्षण याचिका लंबित है, तब तक याचिकाकर्ता-जो कि एक शैक्षणिक संस्था है-को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने इस न्यायालय के 2007 (102) आर डी 498 में रिपोर्ट किए गए निर्णय-अली शेर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (कलेक्टर, बिजनोर के माध्यम से) और अन्य-का भी हवाला दिया, ताकि यह दर्शाया जा सके कि यदि अपील/पुनरीक्षण के तहत दिए गए आदेश के गंभीर परिणाम होने की संभावना हो, तो अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

4. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

5. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि राजस्व बोर्ड ने विरोधी पक्षों को नोटिस जारी किया है, लेकिन कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. इस न्यायालय ने अली शेर (उपर्युक्त) के मामले में यह निर्णय दिया था कि यदि अपील या पुनरीक्षण के तहत दिए गए आदेश के गंभीर परिणाम होने की संभावना हो, तो अपील/पुनरीक्षण के लंबित रहने तक उस आदेश के कार्यान्वयन को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। अली शेर (उपर्युक्त) मामले में दिए गए फैसले के पैराग्राफ संख्या 4 और 5 प्रासंगिक होंगे, जो इस प्रकार हैं:

"4. यह भली-भांति स्थापित है कि एक बार जब कोई उच्च न्यायालय किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण स्वीकार कर लेता है जिसके सिविल परिणाम हो सकते हैं, तो आमतौर पर अस्थिरता से बचने के लिए स्थगन दिया जाना चाहिए; सिवाय इसके कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर, यह पाए कि स्थगन देने का कोई आधार नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल चंद बनाम रज़ा बुलंद शुगर इंडस्ट्रीज़' मामले में टिप्पणी की थी।

5. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, दिनांक 16.11.2006 के विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अपीलीय न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की अपील का निपटारा कानून के अनुसार, यथाशीघ्र-अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर-करे; और जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, अपील के निपटारे तक, पक्षकार विवादित भूमि की प्रकृति और उस पर अपने कब्जे के संबंध में 'यथास्थिति' बनाए रखेंगे।"

7. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता एक शैक्षणिक संस्थान है। ट्यूशन चला रहा है और छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है; इसलिए, पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, साथ ही अली शेर (उपर्युक्त) में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर विचार करते हुए, इस याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। इसमें प्रतिवादी संख्या 2 - राजस्व बोर्ड को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त पुनरीक्षण (**पुनरीक्षण संख्या 5284 of 2025, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या एएल20251418005284**) का निर्णय शीघ्रता से करे, और अधिमानतः इस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इस पर निर्णय ले। आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि जब तक उपर्युक्त पुनरीक्षण लंबित रहता है, तब तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104/105 के तहत उप-विभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2025 को पारित आदेश का प्रभाव और प्रवर्तन निलंबित रहेगा।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

16 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”